

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक १०४१ कार्मिक/नि.चि./३१/०६/१५४८

दिनांक - ५/७/०६

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निम्नरित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेट पर 10 प्रतिशत तथा जॉक्स पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।

1. लाइफ लाईन ऐंटल केंटर यार्लीनिंग, 12 लाइसेंस मार्ट, अजगेर रोड, जयपुर
2. खण्डाका हॉस्पिटल, 160-161 कैलाशपुरी, दीक राड, जयपुर
3. राजस्थान आई सेन्टर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, गोपालपुरा वाई पास, जयपुर
4. मानसरोवर हॉस्पिटल एण्ड मेट्रनिटी सेन्टर, 111/196 विजय पथ चौराहा, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
5. आनन्द आई हॉस्पिटल, 21 भारत माता पथ, जमनालाल वजाज मार्ग, सी-स्कोम, जयपुर
6. राम अवतार आई हॉस्पिटल एण्ड ग्लूकोमा प्रकल्पन, सी-17 भगत सिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर


उपल अद्देश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।



सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर।
2. निपोर्स0-सचिव/विठ्स0 एवं मुख्यलेखार्थीकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अंतिम मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत रा0आ0म0।
5. आवासीय अभियंता खात रा0आ0म0।
6. संतानत हॉस्पिटल
7. सभला प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0आ0मण्डल, जयपुर।
8. नारिस बोर्ड / रक्षित पत्रावली



सचिव